

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

आदेश

क्रमांक 817 /गोपनीय/2017  
दो-2-1/2017 (भाग-ए)

जबलपुर, दिनांक २३ जून, 2017

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को निम्न सारणी के स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान में स्थानांतरित कर स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट सिविल जिले के लिये जिला न्यायाधीश की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है। साथ ही दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 9 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उन्हें उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सत्र न्यायालय में सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:-

सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री रहस बिहारी गुप्ता	सीधी	रीवा	रीवा	सिविल जिला, रीवा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री राकेश कुमार सिंह के स्थान पर।
2	श्री बिपिन बिहारी शुक्ला	कटनी	विदिशा	विदिशा	सिविल जिला, विदिशा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्रीमती विभावरी जोशी के दिनांक 30-06-2017 को सेवानिवृत्ति उपरांत रिक्त होने वाले पद पर।
3	श्री बीरेन्द्र एस0 पाटीदार, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, होशंगाबाद के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर।	होशंगाबाद	अशोकनगर	अशोकनगर	सिविल जिला, अशोकनगर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्रीमती सुनीता यादव के स्थान पर।
4	श्री अनिल कुमार मोहनिया	बैतूल	कटनी	कटनी	सिविल जिला, कटनी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।
5	श्री रामेश्वर गंगाराम कोटे, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, कटनी के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर।	कटनी	बड़वानी	बड़वानी	सिविल जिला, बड़वानी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।
6	श्रीमती शशिकला चन्द्रा	खण्डवा	हरदा	हरदा	सिविल जिला, हरदा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री शम्भू सिंह रघुवंशी के स्थान पर।
7	श्री राकेश कुमार सिंह	रीवा	शहडोल	शहडोल	सिविल जिला, शहडोल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री प्रद्युम्न सिंह के दिनांक 30-06-2017 को सेवानिवृत्ति उपरांत रिक्त होने वाले पद पर।

8	श्रीमती सुनीता यादव	अशोकनगर	दतिया	दतिया	सिविल जिला, दतिया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्रीमती मीना सिंह के दिनांक 30-06-2017 को सेवानिवृत्ति उपरांत रिक्त होने वाले पद पर।
9	श्री शम्भू सिंह रघुवंशी	हरदा	खण्डवा	खण्डवा	सिविल जिला, खण्डवा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री आर0के0एस0 गौतम के दिनांक 30-06-2017 को सेवानिवृत्ति उपरांत रिक्त होने वाले पद पर।

क्रमांक 818 / गोपनीय / 2017  
दो-2-1/2017 (भाग-ए)

जबलपुर, दिनांक 23 जून, 2017

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को उनके समक्ष स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तत्संबंधी स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट विशेष न्यायाधीश की हैसियत से तथा मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा-1-2-90-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 26-10-95, अधिसूचना क्रमांक फा0-1-2-90-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 19-2-97 एवं क्रमांक 1-2-90-इक्कीस-अ(एक), दिनांक 7-5-99, क्रमांक फा01-2-90/21-ब (एक), दिनांक 4-5-2007 तथा अधिसूचना क्रमांक फा. क्र.1-2-90-21/ब(एक)1511/2016, दिनांक 16-05-2016 द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 की संख्या 33) की धारा 14 के अधीन विनिर्दिष्ट सारणी के तत्संबंधी स्तम्भ (7) में निर्दिष्ट विशेष न्यायालय/अनन्य विशेष न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के रूप में पदस्थ एवं नियुक्त करता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 की संख्या 2) की धारा 9 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में निर्दिष्ट अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये अपर सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है :-

#### सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	सत्रखण्ड का नाम	न्यायालय के संदर्भ में टिप्पणी	विशेष न्यायालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री अनिल कुमार गुप्ता	गुना	बैतूल	बैतूल	पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री अनिल कुमार मोहनिया के स्थान पर।	बैतूल
2	श्री ज्ञान प्रकाश अग्रवाल	आष्टा	खण्डवा	खण्डवा	पीठासीन अधिकारी, अनन्य विशेष न्यायालय की हैसियत से श्रीमती शशिकला चन्द्रा के स्थान पर।	खण्डवा

3	श्री उपेन्द्र कुमार सोनकर	जबलपुर	होशंगाबाद	होशंगाबाद	पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से श्रीमती रश्मि अग्रवाल के स्थान पर।	होशंगाबाद
---	---------------------------	--------	-----------	-----------	---	-----------

क्रमांक 819 / गोपनीय / 2017  
दो-2-1/2017 (भाग-बी)

जबलपुर, दिनांक 23 जून, 2017

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों (अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश) को उनके समक्ष स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर, उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 8 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:-

#### सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	कुमारी भावना साधो	भोपाल	मण्डला	मण्डला	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, मण्डला की हैसियत से।
2	श्री हितेन्द्र कुमार मिश्रा	शाजापुर	शहडोल	शहडोल	द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।
3	श्रीमती शालिनी शर्मा सिंह	लखनादौन	सौंसर	छिन्दवाड़ा	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में।

टिप्पणी :- (1) श्रीमती सुनीता यादव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर,

(2) श्रीमती शालिनी शर्मा सिंह, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लखनादौन जिला सिवनी, का स्थानान्तरण स्वयं के व्यय पर किया गया है।

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,

(मो० फहीम अनवर)


रजिस्ट्रार जनरल

प्रतिलिपि:-

1. उपनियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स हबीबगंज, भोपाल-6, को मध्यप्रदेश राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित ।
2. प्रमुख सचिव एवं विधि परामर्शी मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल-462004, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस अनुरोध के साथ अग्रेषित कि श्री बीरेन्द्र एस0 पाटीदार, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, होशंगाबाद एवं श्री रामेश्वर गंगाराम कोटे, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, कटनी की पदस्थापना नियमित न्यायालय में किये जाने के फलस्वरूप उनकी सेवाएं लौटाये जाने संबंधी आदेश राज्य शासन से प्राप्त कर इस रजिस्ट्री को शीघ्र प्रेषित करने का कष्ट करें।
3. रजिस्ट्रार, म0प्र0 राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, 76, अरेरा हिल्स, भोपाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। वे कृपया श्री बीरेन्द्र एस0 पाटीदार, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, होशंगाबाद एवं श्री रामेश्वर गंगाराम कोटे, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, कटनी को उनकी वर्तमान पदस्थापना के स्थान पर इस प्रकार कार्यभार सौंपने संबंधी निर्देश देवें जिससे कि वे अपनी पदस्थापना के नये स्थान पर दिनांक 03-07-2017 को अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण कर सकें। कार्यभार सौंपने संबंधी सूचना इस रजिस्ट्री को शीघ्र प्रेषित करें।
4. महालेखाकार, (लेखा/हकदारी) प्रथम (टी0एम0 अनुभाग), कार्यालय महालेखाकार, (लेखा/हकदारी) प्रथम, मध्यप्रदेश, लेखा भवन, झांसी रोड, ग्वालियर- 474002, को सूचनार्थ अग्रेषित ।
5. महालेखाकार (2) मध्यप्रदेश, ग्वालियर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।
6.
  1. श्री रहस बिहारी गुप्ता, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी,
  2. श्री बिपिन बिहारी शुक्ला, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, कटनी,
  3. श्री बीरेन्द्र एस0 पाटीदार, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, होशंगाबाद,
  4. श्री अनिल कुमार मोहनिया, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, (अत्याचार निवारण), अधिनियम, बैतूल,
  5. श्री रामेश्वर गंगाराम कोटे, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, कटनी,
  6. श्रीमती शशिकला चन्द्रा, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, (अत्याचार निवारण), अधिनियम, खण्डवा,
  7. श्री राकेश कुमार सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा,
  8. श्रीमती सुनीता यादव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर,
  9. श्री शम्भू सिंह रघुवंशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा,
  10. श्री अनिल कुमार गुप्ता, चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना,
  11. श्री ज्ञान प्रकाश अग्रवाल, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, आष्टा जिला सीहोर,
  12. श्री उपेन्द्र कुमार सोनकर, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर,
  13. कुमारी भावना साधो, चौदहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल,
  14. श्री हितेन्द्र कुमार मिश्रा, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर,
  15. श्रीमती शालिनी शर्मा सिंह, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लखनादौन जिला सिवनी,

को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु अग्रेषित। वे कृपया वर्तमान पदस्थापना के स्थान पर इस प्रकार कार्यभार सौंपें कि वे अपनी पदस्थापना के नये स्थान पर दिनांक 03-07-2017 को अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण कर सकें। कार्यभार सौंपने एवं ग्रहण करने संबंधी सूचना इस रजिस्ट्री को तत्काल प्रेषित करें।
7. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी/ बैतूल/ खण्डवा/ गुना/ सीहोर/ भोपाल/ शाजापुर/ सिवनी/ जबलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। वे कृपया संबंधित अधिकारी को इस प्रकार कार्यभार मुक्त होने संबंधी निर्देश देवें जिससे कि वे अपनी पदस्थापना के नये स्थान पर दिनांक 03-07-2017 को अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण कर सकें। कार्यभार सौंपने संबंधी सूचना इस रजिस्ट्री को शीघ्र प्रेषित करें।
8. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा/ अशोकनगर/ कटनी/ बड़वानी/ शहडोल/ दतिया/ मण्डला/ छिन्दवाड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

- 9 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, \_\_\_\_\_ को सूचनार्थ अग्रेषित।
- 10 रजिस्ट्रार (आई0टी0), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को निम्न न्यायिक अधिकारियों को आदेश की प्रति ई-मेल द्वारा प्रेषित करने हेतु :-
- (1) जिला जज (निरीक्षण), उच्च न्यायालय प्रांगण, जबलपुर/ जिला जज (निरीक्षण), जे0ई0-1, जजेस एनक्लेव, रेसीडेन्सी ऐरिया, इन्दौर - 452001/ जिला जज (निरीक्षण), 28/बी, रेसकोर्स रोड, मेला ग्राउण्ड के सामने, ग्वालियर (म0प्र0) को सूचनार्थ अग्रेषित।
  - (2) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर/इन्दौर को सूचनार्थ अग्रेषित।
  - (3) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर, न्यू हाईकोर्ट बिल्डिंग, सिटी सेन्टर, ग्वालियर को सूचनार्थ अग्रेषित।
  - (4) सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, 574, साउथ सिविल लाईन्स, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
  - (5) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, (सतर्कता)/ (न्यायिक)/ (I.L.R. & Examination), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
  - (6) रजिस्ट्रार (Exam & Labour Judiciary)/ (जिला स्थापना)/ (आई0एल0)/ (न्यायिक-1)/ (न्यायिक-2)/ रजिस्ट्रार/सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/ (प्रशासन), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
  - (7) प्रभारी संचालक/अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
- 11 रजिस्ट्रार (ई0)/लेखा अधिकारी/ बजट अधिकारी/ ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकाल)/ डिप्टी रजिस्ट्रार (न्यायिक), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
- 12 रजिस्ट्रार-कम-माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के प्रमुख निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित।
- 13 माननीय न्यायाधिपति श्री \_\_\_\_\_ के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित।
- 14 माननीय न्यायाधिपति श्री \_\_\_\_\_ के निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर/इन्दौर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित।
- 15 माननीय न्यायाधिपति श्री \_\_\_\_\_ के निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर/ग्वालियर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित।
- 16 डिप्टी रजिस्ट्रार एवं रजिस्ट्रार जनरल के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
- 17 अनुभाग अधिकारी, पेन्शन /बजट/ सहायक (कार्य)/ शिकायत/ वेतन निर्धारण (राजपत्रित)/ अग्रिम/ अवकाश (राजपत्रित)/ सिविल चेकर/ क्रिमिनल चेकर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।

  
 (मो0 फहीम अनवर)  
 रजिस्ट्रार जनरल  
 23.6.17